से बहुत तसल्ली है लोगों को कि ये बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं और केरल में भी खास मिसालें कायम हुई हैं । यू पी का हाल दिल्ली जैसा ही है । कोई अच्छा नहीं है। वहां तो एन्क्रोचमेन्ट इतना बढ़ गया है कि कोई ठिकाना नहीं है । वहां तो यह हाल है कि हम जाते हैं और देखते हैं कि वक्फ बोर्ड की जायदाद पर कब्जा कर लिया, वक्फ बोर्ड के सेक्रेटरी को कुछ पैसे दे दिए और वह खामोश हो गया । वह भी इसी तवज्जह की मोहताज है जैसे दिल्ली है । यू पी में इस से ज्यादा ही कुछ होगा । कोई अच्छा काम मैं नहीं देख रहा हूं ।

मैं मुरादाबाद से आता हूं जहां मुसलमानों की वक्फ की जायदाद लाखों नहीं करोड़ों रुपये की होगी । कोई इस्तेमाल उस का नहीं होता । उल्टे और खर्चा गवर्नमेंट पर पड़ जाता है । डेफिश्येंसी रहती है । दिल्ली में तो अपना-अपना खर्च बोर्ड चला भी लेते हैं लेकिन मुरादाबाद बाद में कमी रहती है । कलेक्टर साहब कहते हैं कि इसके लिए कुछ न कुछ इंतजाम ऊपर से करो । वक्फ भी वहां कुछ कम नहीं हैं, बहुत ज्यादा हैं । लखनऊ में बहुत बड़ी जायदादें वक्फ की हैं, इलाहाबाद, कानपुर में मैंने देखा है, काफी जायदादें हैं । तो यही मेरी गुजारिश है कि एक काम्प्रीहेंसिव बिल ला कर हिन्दुस्तान के मुसलमानों पर बहुत बड़ा एहसान आप करेंगे। गुडविल आप को मिलेगी, हमें तो कुछ मिलना नहीं है ।

17.50 hrs.

STATEMENT RE: SALE OF TICKETS OF ASIAD TO MEMBERS OF PARLIAMENT

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SUPPLY AND REHABILITION (SHRI BUTA SINGH): Mr Deputy-Speaker, Sir, I am grateful to the hon. Members of both the Houses for showing keen interest in the Ninth Asian Games to be held from 19th November.

The question relating to the sale of tickets to the hon. MPs to enable them and their family members to witness the Games, has been engaging the attention of the Organising Committee and the Parliamentary Forum of Sports. The hon. Chairman, Rajya Sabha, hon. Speaker and you, Sir, have been taking keen interest in the subject. You have been very kind to give me a patient hearing and you have listened to various problems connected with the issue.

Sir, only just now, in your Chamber a meeting was held with the Members of the Parliamentary Forum of Sports. It has been decided in that meeting that the plan for sale of tickets of ASIAD to the MPs will be finalised on tenth i.e. Tuesday. Thereafter, the tickets will be sold in a manner and on dates to be announced later.

As on today, no ticket will be sold on 9th August as announced earlier.

17.51 hrs.

PUBLIC WAKFS (EXTENSION OF LIMITATION) (DELHI AMENDMENT) BILL—*Contd.*

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : उपलब्ध महोदय, मैं इस बिल का हृदय से समर्थन करता हूं । मैं समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश के अन्दर भी वक्फ प्रापर्टीज़ हैं, उसका सारा का सारा इन्तजाम पंजाब, हरियाणा के वक्फ बोर्ड द्वारा किया जाता है। वहां के मुसलमानों की बहुत बुरी हालत है । जब आप दिल्ली में इस संबंध में समय मांग रहे हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के अन्दर भी आप एक अलहदा वक्फ बोर्ड बनायें, ताकि वहां की सारी की सारी प्रापर्टीज़ को ठीक प्रकार से कन्ट्रोल किया जा सके । मुसलमानों की आबादी वहां पर भी अधिक है, मेरे नहान जिला है, शिमला में भी है, सोलन में भी है और बिलासपुर में भी - वहां के मुसलमानों के लिए न पढाई का इन्तजाम ठीक प्रकार है और न ही और कोई सुविधायें हैं । उर्दू वहां की सैकेण्ड लैंगवेज है । वहां इस प्रकार की जनता प्रापर्टी है, उस पर मोमडन ने कब्जा कर रखा है और उससे जितनी कमाई होती है वे सब खा जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो उससे आमदनी

[श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी]

होती है, वह बाकायदा नेशनलाइज करके आप उसको अपने सरकारी खजाने में रखें और उनका ठीक प्रकार से विस्तार किया जाए। मेरे पास एक डेप्यूटेशन आया था, जिस ने यह मांग की कि कम से कम आप एक मौलवी लायें, ताकि नमाज तो हम पढ़ना सीख लें। लेकिन उनके पास पैसा न होने की वजह से उनके बच्चे नहीं पढ पाते हैं। जिस तरह से मंदिर के मालिक हिमाचल प्रदेश के अन्दर हैं। मंदिरों की जितनी कमाई आती है, वे सब अपने हिसाब से करते हैं। गुरूद्वारों का संचालन गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा किया जाता है और उनकी यूनिवर्सिटी भी चल रही है। जब गरीबों के ख्याल करने का प्रश्न आता है तो वे कान में उंगली डाल कर नमाज पढते हैं, उनको मुसलमानों की तरक्की का कोई ख्याल नहीं आता है। इसलिए मैं समझता हूं कि अगर हम वक्फ प्रापर्टी का प्रबन्ध ठीक प्रकार से करना चाहते हैं, तो हमें इसकी कमाई को बड़े ध्यान से खर्च करना चाहिए। जिसके लिए वे जायदादें हैं। जैसा इन्होंने कहा कि दिल्ली में अन्धेरगर्दी हो रही है, तो इस की जांच होनी चाहिए और कौन आदमी ऐसा करता है, उस को देखना चाहिये।

एक माननीय सदस्य : सरकार करती है।

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : और भी हो सकते हैं बीच में। वक्फ बोर्ड के आदमी भी उस में शामिल हो सकते हैं। सरकार अकेले यह नहीं करती है लेकिन सरकार का जहां तक सम्बन्ध है, मैं यह समझता हूं कि सरकार इस हाउस में ऐसा बिल लाए कि हर राज्य में, हर स्टेट में अलेहदा-अलेहदा वक्फ बोर्ड होने चाहिए ताकि वहां की प्रापर्टी की हिफाजत हो सके।

अब मैं यह कहना चाहता हूं कि जो आदमी शिमला में मस्जिद में रहते हैं, उन की बहुत बुरी हालत है। वहां पर एक मौलवी ने कब्जा किया हुआ है और वह अम्बाले में रहता है और उन से किराया चार्ज करता है और उन को कोई सुविधा नहीं है। जो मुसलमान वहां पर काश्मीर से आते हैं या दूसरे प्रान्तों से वहां पर जाते हैं, उन को को वहां पर रहने के लिये जगह नहीं मिलती। वहां पर महज एक मस्जिद है, जहां पर इन्तजाम ठीक तरह का नहीं है। मैं समझता हूं कि दिल्ली हो या शिमला हो या अन्य बड़े शहर हों, वहां पर मुसलमानों की प्रापर्टी का यह हाल है: हमारे यहां डक्साई में जाएं तो वह केन्टोन्मेंट बोर्ड में आता है कसौली में जाए, तो वह केन्टोन्मेंट बोर्ड में आता है, डलहोजी में जाए, तो वह केन्टोनिमेंट बोर्ड में आता है और स्पाटू में जाएं तो वह केन्टोन्मेन्ट बोर्ड में आता है और ये जितने केन्टोन्मेन्ट बोर्ड में हैं, वहां पर कोई चीज आप बना नहीं सकते हैं। 1924 का जो एक्ट है, उस के मुताबिक केन्ट में कोई मकान नहीं बना सकता है, कोई जायदाद ठीक नहीं कर सकता। अंग्रेजों के जमाने का यह पुराना एक्ट है और इस को बदलना होगा। कई लोग वैसे ही बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। कानून बनाने के लिए हमारे पास बहुमत है और हम नया कानून, बना कर लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं जिससे उन लोगों में यह विश्वास हो कि यह जो सरकार है, यह उन के बारे में भी कुछ सोचती है। उन की जो जायदाद है, उस की हिफाजत हमें करनी चाहिए और ठीक प्रकार से उसका प्रयोग हो और मिसयूज न हो, यह हमें देखना चाहिए।

इतना कह कर मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के लिए एक वक्फ बोर्ड बनाया जाए और यह जो बिल आप लाए हैं, इस की मैं ताईद करता हूं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, Mr. Ratansinh Rajda may speak.

(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: We are going to pass this Bill. Then only we are going to adjourn. The Business Advisory Committee has already decided. It has been announced also.

SHRI RATANSINH RAJDA: (Bombay South): Sir, near chaotic conditions prevail in India with regard to Wakf properties. That is the situation throughout India. Sir, the present amending Bill has been brought about to extend the limitation because formerly it was up to

31.12.1980. Now, unauthorised occupations are on a very large scale as far as wakf properties are concerned. To enable the recovery of those unauthorised possessions and to enable them to file suits for the recovery, this amendment has been brought about and it is a commendable step taken by the Government. The only thing is that the various speeches that have been made here bring one thing to light and that is whether this Government has got a resolute will, a determination to see that a comprehensive Bill is brought about and all the injustices done so far, which have accumulated all these years, are put to a naught and justice is done as far as all those wakf properties are concerned.

Sir, unauthorised occupations of Wakf properties are on a very large scale. Unfortunately in a place like Delhi, the Capital of India, the survey work is not complete. We do not know how many properties are there, what is their total value or what will be the total valuation of all these properties. It may amount to crores of rupees and in the absence of any survey, one does not know what is happening to all those unauthorised occupations. Nobody is challenging these unauthorised occupants and they run away with their mischief. All these years they have been the beneficiaries without any legal title to all those properties and for that it is very much necessary to regulate and to extend the period of limitation so that we get these properties. It is necessary that this limitation is extended so that within the next five years up to 1985 we will cope up with the situation and all these properties which are under unauthorised occupation are recovered, their possession is taken back and recovery is effected from the clutches of unauthorised occupants.

18.00 hrs.

Sir, I think and I hope that this would be the last extension and during this period, the Government will be able to cope up with the situation and for that energetic and vigorous steps will have to be taken. I hope, this would be the last amendment which will solve this problem to the satisfaction of the minority community in this country.

MR DEPUTY-SPEAKER: Shri Jamilur Rahman.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am going to call all of you. We are going to complete this Bill and then only, we will adjourn.

SHRI JAMILUR RAHMAN (Kishanganj): Hon. Deputy Speaker, Sir, are you going to extend the time?

MR DEPUTY-SPEAKER: It is already extended. We are going to complete this Bill. All Members whose names are before me will be called to speak, except Shri Sunder Singh because his name is not here!

श्री जमीलुर्रहमान (किशनगंज) : मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे एक मौका इनायत फरमाया है कि मैं इस नन्हे-मुन्हे से वक्फ तरमीमी बिल पर कुछ कहूं । मैं इस बिल का खैरमकदम करता हूं और साथ-साथ इसको सपोर्ट करता हूं । लेकिन मैं चंद बातें कहे बगैर नहीं रह सकता । . . . **(व्यवधान)** . . .

मैं आपको एक शेर अर्ज करना चाहता हूं :-

हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम।

वे कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता ।

मेरे कहने का मकसद यही है कि इस छोटे-मोटे बिल लाने से कोई मसला हल होने वाला नहीं है । अगर वक्फ जायदादों का सारे हिन्दुस्तान में ठीक से सर्वे हो जाए, जो कि अब तक नहीं हो पाया है तो वे मेरे ख्याल में 15 हजार करोड़ रुपये की हैं । लेकिन 35 वर्ष का अर्सा हो गया, यह अब तक नहीं हो पाया है । यह अफसोसनाक बात है और यह बात जबकि मैं इस सदन में खड़े हो कर कह रहा हूं तो बहुत ही इत्मीनान और जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि यह सिर्फ मेरी ही आवाज नहीं है, यह करोड़ों मुसलमानों की आवाज है ।

[श्री जमीलुर्रहमान]

मेरे ख्याल से अगर वक्फ जायदादों का मसला हल हो जाए तो इस मुल्क का मुसलमान मदद के लिए सरकार की तरफ आंख नहीं उठायेगा । 1947 के बाद से बराबर शोर-शराबा मुसलमानों की तरफ से हो रहा है और कई मर्तबा इस सवाल को उठाया गया । लेकिन कहें तो किस को कहें ।

आनरेबल डिप्टी स्पीकर साहब, मैं अर्ज करता हूं कि इस मुल्क में सेक्युलरिज्म और वक्फ के चार सब से बड़े दुश्मन हैं। नम्बर एक - लेण्ड एण्ड डवलपमेंट डिपार्टमेंट, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा डी. डी. ए., तीसरे वर्क्स एण्ड हाउसिंग मिनिस्ट्री इन्कलूडिंग रिहेबलिटेशन मिनिस्ट्री और चौथे आरकेलोजिकल डिपार्टमेंट आफ इंडिया ।

मुल्क में 1947 में हालात नाजुक थे । उस वक्त हम छोटे-मोटे थे, हम को क्या पता था कि यह क्या चीज है । उन नाजुक हालात में मुसलमानों ने अपने को खतरे में महसूस किया और वे अपनी-अपनी जगहों से दूसरी जगहों पर शिफ्ट हो गये । 1971 में मुसलमानों में एतमाद आया जबकि श्रीमती इन्दिरा गांधी जीत कर आयी तो वे (मुसलमान) अपनी अपनी जगहों पर जा कर फिर बसे और उन्होंने अपनी-अपनी जगहों को हासिल करने का सवाल उठाया । लेकिन हुआ क्या ? अभी तक उन जायदादों को रिलीज नहीं किया गया । इस के लिए हम किस को ब्लेम करें, किस को कहें । यह बात मैं आपके जरिये सरकार को कहना चाहता हूं और कह रहा हूं ।

दूसरी बात यह है कि 1974 में बनी कमेटी की इन्टेरिम रिपोर्ट आयी थी। 1976 में रिपोर्ट सबमिट हुई, छः साढे छः साल हो गए हैं, अभी तक जेरे गौर है । कब तक जेरे गौर होगा । उसकी कोई सीमा होनी चाहिए, लिमिटेशन होनी चाहिए । 1985 तक आपने लिमिटेशन बढाने को कहा है । क्या मकसद है ? पहले बात दिल और दिमाग में आती है, उसके बाद चेहरे पर और बाद में हाथ-पैर एक्शन में आते हैं । डिप्टी स्पीकर साहब, दिल्ली भारत का दिल है, अगर यहां पर कोई बात होती है तो उसकी हवा सारे देश में फैलती है । यहां पर सैकड़ों दूसरे गैर-मुमालिक लोग रहते हैं, वे भी इस बात को देखते हैं । इसलिए अगर थोड़ी सी भी बात होती है तो पूरे हिन्दुस्तान में उसका जिक्र होता है । तुर्कमान गेट की घटना सही थी या गलत, इस बात में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन 1977 की इस घटना का असर जो हिन्दुस्तान पर पड़ा है वह मेरे और आपके सामने है । इन बातों में मैं नहीं जाना चाहता । बर्नी-कमेटी की रिपोर्ट को छः साल हो गए, क्यों नहीं एक कंप्रहेंसिव बिल आता है । 1985 तक एक्सटेंड करने का क्या मकसद है ? ताकि जो बची-खुची वक्फ जायदादें दिल्ली में हैं वे भी साफ हो जाएं ।

रिकवरी की कोई बात नहीं आई कि जायदाद वक्फ को या मुसलमानों को वापिस हो, इसकी बात नहीं आई । एक्सटेंशन देने से क्या होगा – इसका मतलब यह होगा कि जैसे शेखूसराय और यूसफसराय में कब्रिस्तान था, उस पर चारों तरफ डी डी. ए. का कब्जा हो गया है। एक मस्जिद भोंठ जहां पहले मुसलमान बसते थे, वे वापिस आ गए हैं, लेकिन वहां पर आर्कलाजिकल डिपार्टमेन्ट का कब्जा है । कोई सुनवाई नहीं हो रही है और न मस्जिद वापिस हुई है । पुरानी दिल्ली में एक मस्जिद बस टर्मिनल के पास टूट-फूट गई है, मुसलमानों को नमाज पढ़ने की जगह नहीं है । पहाड़गंज की मस्जिद में होटल बन गया है । एक दर्द हो तो आपको बताएं, यह तो लाइलाज मर्ज है ।

डिप्टी स्पीकर साहब आप बड़े साफ जहन के आदमी हैं । आप उस स्टेट से आते हैं जहां पढ़े-लिखे लोगों की संख्या ज्यादा है । इसलिए उस बात का असर आप पर भी है । आप खुले जहन के पढे लिखे आदमी हैं, लेकिन मैंने ये जो चार डिपार्टमेंट बताए हैं, उनमें ऐसे लोग हैं, जिनका एक उसूल मालूम होता है, कि उनकी हरकतों से यह मालूम होता है कि जैसे कि वे चाहते हैं कि अकलियत हिन्दुस्तान में न रहे, उनकी जायदाद न रहे । वक्फ को 'डेडी-

केशन आफ गाड' माना है । एक्ट के मुताबिक देखा जाए :-

"(a) "beneficiary" means a person or object for whose benefit a wakf is created and include religious, pious and charitable objects and any other objects of public utility sanctioned by the Muslim law;"

उसके नीचे दिया है --

"(i) Any person who has a right to worship or to perform any religious rite in a mosque, idgah, imambara, dargah, Khangah, Maqbara, grave-yard or any other religious institution connected with the wakf or to participate in any religious or charitable institution under the Wakf;"

आप मोहम्मडन एक्ट में देखेंगे, एक मकसद के तहत वक्फ किया जाता है। उसमें दो किस्म के वक्फ होते हैं - "फारदि पीपुल इन दी नेम आफ गाड" और दूसरा होता है औलादों के लिए। तो क्या ये चारों डिपार्टमेंट क्या इन दोनों चीजों में आते हैं। हमारे हिस्सेदार ये डिपार्टमेंट नहीं हैं और न्हीं यह वक्फ अहले औलाद की केटेगरी में आते हैं। चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हों।

इसलिए मैं अर्ज कर रहा था कि समय मिलना चाहिए और हमारा पूरा समर्थन है, लेकिन आप पूरा बिल लाइए और इस तरह की व्यवस्था कीजिए कि वे मुसलमानों की वक्फ जायदादें बच सकें। जिस परपज के लिए वे जायदाद दी गई हैं, उनको पूरा किया जा सके। स्कूल बनें, कालेज बनें, अस्पताल बनें, डेवलपमेंट के लिए उपयोग किया जाए। अस्पताल बनें लेडी स्कूल बनें, उनके डिवेलेप्मेंट के काम हों।

मैं आंकडा दे रहा हूं। वक्फों की हालत सारे मुल्क में बुरी है, लेकिन दिल्ली में तो और भी बुरी हालत है। इतनी अफरा-तफरी क्यों मची हुई है? किस वक्त जमीन बेच कर कहीं कोई फरार हो जाएगा पता ही नहीं चलता। सरकार के पास कोई साधन नहीं है कि उसको वापिस लिया जा सके। आप आंकड़ा देखें। 134 जायदाद वर्क्स एंड हाउसिंग के तहत डी. डी. ए. के कब्जे में इस वक्त भी है। 108 जायदादें लैंड एंड डिवेलपमेंट के कब्जे में हैं। क्यों इसके बारे में कार्रवाई नहीं हुई है। जब 7-8 मंजिला इमारतें बन जाएंगी तब नींद टूटेगी क्या ? क्या मतलब है इसका ? मैं भीख नहीं मांग रहा हूं। भिखारी नहीं हूं। अपना हक मांगता हूं। इन वक्फ की जायदादों को वापिस कीजिए। इनको लेने वाले दूसरे आदमी नहीं हो सकते हैं, ये चार डिपार्टमेंट लेने वाले नहीं हो सकते हैं। जो वारिस हैं वही हो सकते हैं। पंद्रह करोड़ मुसलमान हिन्दुस्तान के इनके वारिस हैं।

अभी तक आप ने सर्वे नहीं किया है इन जायदादों का। कम से कम दिल्ली की जायदादों का आप सर्वे तो करायें और सदन को जो नतीजा निकले बताएं कि देश में कितनी वक्फ की जायदादें हैं और कितने करोड़ की हैं और दिल्ली में कितनी हैं और कितने करोड़ की हैं।

MR DEPUTY SPEAKER: When a comprehensive Bill comes, you must give sufficient time for that. You are exhausting everything on this occasion.

SHRI JAMILUR RAHMAN: You must allow me at least 45 minutes. I pray God that you should be in the Chair on that particular day when that comprehensive Bill comes.

प्रेस के बारे में बड़ी लम्बी बात हुई है आज। यह कहा जाता है कि बिहार सरकार ने 292 (ए) ला कर प्रेस के अधिकार में हस्तक्षेप किया है। कालिंग एटेंशन पहले पहर सदन में आया था। एक दो प्रश्न मैं उसके लिये भी रखना चाहता हूं। सदन में उसका जवाब तो नहीं मिल पाएगा। मौलिक अधिकारों का मैं बड़ा हामी हूं अलम्बरदार हूं। प्रेस को नेशनल प्रेस कहा जाता है लेकिन मैं तो इसको कैपिटलिस्टिक प्रेस मानता हूं मैं चाहता हूं कि बताया जाए कि अकलियतों की जायदादों पर जिस कद्र जुल्म हो रहा है और उनकी इकोनोमिक और सोशल हालत जो है, उसकी डिवेलेपमेंट के लिए भी क्या आज तक यह नाम निहादी नेशनल प्रेस ने कुछ लिखा है। क्या हम हिन्दुस्तान के

[श्री जमीलुर्रहमान]

शहरी नहीं हैं ? जब कोई फिसाद का मामला पैदा होता है, गड़बड़ी पैदा होती है, प्रेस वालों को पैट्रोडालर नजर आते हैं। लेकिन क्या उन्होंने कभी यह भी बताया है कि कितने मुसलमान और कितने गैर मुसलमान मुल्क के बाहर हैं और वे कितने पैट्रोडालर अलग-अलग हिन्दुस्तान में भेजते हैं? जब पैट्रोडालर्ज का इलजाम लगाया जाता है तो यह भी बताया जाना चाहिए कि कितने मुसलमान हिन्दुस्तान के बाहर हैं और कितने गैर मुसलमान बाहर हैं और दोनों अलग-अलग कितने पैट्रो डालर हिन्दुस्तान में लाते हैं या भेजते हैं। प्रेस की आजादी का मैं बड़ा हामी हूं अलम्बरदार हूं। 1971 से 1977 तक मैं मेम्बर रहा हूं। पार्लियामेंट की कार्यवाही गवाह है कि मैं स्माल और मीडियम न्यूजपेपर्ज का हमेशा हामी रहा हूं। गुजराल साहब मिनिस्टर थे, दीगर लोग भी रहे, शुक्ल जी भी थे, सब इस बात के गवाह हैं कि मैं कितना बड़ा अलम्बरदार स्माल एंड मीडियम न्यूजपेपर्ज का रहा हूं और इस चीज को पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्ज भी साबित कर देंगी। लेकिन यह नाम निहादी नेशनल प्रेस वालों को कौन समझाए।

दरगाह किलोखेड़ी का मामला दिल्ली में अभी भी पैंडिंग है। दूसरा कोई दरगुजर कर सकता है लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस मामले को दरगुजर कर दिया जाए। यह अहम मामला है। इसको दरगुजर होने भी नहीं दूंगा। 29 तारीख को पिछले महीने को मैं खुद वहां गया था।

मैं दरगाह शरीफ गया था। किलोखेड़ी में दरगाह के अलावा छोटे-छोटे कब्रिस्तान भी हैं। डी. डी. ए. के बुलडोजर शान से चल रहे थे। जैसा कि मैंने अर्ज किया है, चार पांच डिपार्टमेन्ट में ऐसे लोग हैं, जो चाहते हैं कि यहां पर हम लोगों का खातमा हो जाए। लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूं कि मैं इतना कमजोर-जान नहीं हूं, मैं आसानी से खत्म होने वाला नहीं हूं हिन्दुस्तान से, चाहे वे कितनी कोशिश करें, चाहे कितना दंगा-फसाद करें। हम जिस नेता पर यकीन करते हैं, उसका ईमान है सोशलिज्म और सेकूलरिज्म पर।

MR DEPUTY-SPEAKER: You are a part and parcel of the Indian nation. No question of eliminating.

SHRI JAMILUR RAHMAN: Yes; I claim it. My father claimed it and his father claimed it. My son also will claim it.

अगर रीएक्शनरी फोर्सिज हमें डराना धमकाना चाहती हैं, तो जमीलुर्रहमान और उसकी सात पुश्तों के लोग डरने वाले नहीं हैं।

किलोखेड़ी का मजार एक मुतबर्रिक मकाम है। अभी पिछले महीने 29 तारीख को मैं गया था। मजार में जितनी कबरें हैं, सिवाए पीर साहब के मजार को सब तोड़ फोड़ कर बराबर कर दी गई हैं। पीने के पानी का जो कुंआ था, उसको तोड़ कर बराबर कर दिया गया है। इतना ही नहीं, वहां चार पीपल के दरख्त हैं। उनके चारों तरफ चबूतरा बना दिया गया है और मजार को बन्द कर दिया गया है। आप गौर फरमाएं कि यह किस बात का संकेत है, किस बात की तरफ इशारा है कि एक तरफ तो कबरों को खत्म किया जा रहा है, कुएं को खत्म कर दिया गया है, दूसरी तरफ पीपल के दरख्तों के चारों तरफ चबूतरा बना कर ढोल बजाया जा रहा है। इसके मानी ये हैं कि फसाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है।

इस लिए मेरी गुजारिश है कि मिनिस्टर साहब मेहरबानी फरमा कर एक काम्प्रिहेंसिव बिल लाएं। शेर के मुताबिक कहीं ऐसा न हो कि "हम खाक हो जाएंगे तेरी जुल्फ के सर होने तक"। सरकार लिमिटेशन पीरियड को बढ़ाती जाये और डी. डी. ए., आर्केआलोजिकल डिपार्टमेंट और वर्क्स एंड हाउसिंग डिपार्टमेन्ट सब वक्फ की खाली जमीनों और मकानों पर कब्जा करता जाए और कोई जायदाद ही न बचे, तो मुकदमा किस बात का ? यह बात मैं संकेत के तौर पर कह रहा हूं।

अभी आनरेबल मिनिस्टर की तरफ से कहा गया है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड एडमिनिस्ट्रेशन को एपरोच किया और इस लिए जरूरत पड़ी कि वक्फ एक्ट में एमेंडमेंट ला कर उसको लिमीटेशन 1985 के आखिर तक बढा दिया जाए । मुहतरम वजीर साहब को शिकवा किससे है ? - हम लोगों से या इस सदन से ? जो आदमी मुजरिम के कटघरे में खड़ा है, जो इस काम को करा रहा है, लैंड डेवेलपमेंट विंग वही एपरोच कर रहा है कि इस एक्सट को बढाया जाए । इसकी नीयत बहुत खराब है कि टाइम को एक्सटेंड कर के मौका मिले और एक्वायर कर के मुसलमानों की सारी जायदाद को नेस्तो-नाबूद कर दिया जाए, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी ।

मेरा दिल चाहता है कि हर एक को उसका जायज हक मिलना चाहिए । यही हमारी पार्टी का असूल है और यही हमारी नेता का उसूल है और हम और हमारी पार्टी इस के बारे में किसी से काम्प्रोमाइस करने के लिए तैयार नहीं है । हम, हमारी पार्टी और हमारी नेता इस गलत रवैये के खिलाफ हर वह कदम उठा सकते हैं, जो जायज और दुरूस्त है ।

شری جمیل الرحمن (کشن گنج):

محترم ڈپٹی اسپیکر صاحب - میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ایک موقع عنایت فرمایا ہے کہ میں اس ناطے ملے سے وقف ترمیمی بل پر کچھ کہوں - میں اس بل کا خیر مقدم کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ اس کو سپورٹ کرتا ہوں - لیکن میں چند باتیں کہے بغیر نہیں رہ سکتا - (انٹرپشن) ....

میں آپ سے ایک شعر عرض کرنا چاہتا ہوں -

"ہم آہ بھی کرتے ہیں
تو ہو جاتے ہیں بدنام
وہ قتل بھی کرتے ہیں
تو چرچا نہیں ہوتا —"

میرے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اس چھوٹے موٹے بل لانے سے کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے - اگر وقف جائدادوں کا سارے ہندوستان میں ٹھیک سے سروے ہو جائے جو کہ اب تک نہیں ہو پایا ہے تو وہ میرے خیال میں پندرہ ہزار کروڑ روپئے کی ہیں - لیکن ۳۵ ورش کا عرصہ ہوگیا یہ اب تک نہیں ہو پایا ہے - یہ افسوس ناک بات ہے اور یہ بات جب کہ میں اس سدن میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں تو بہت ہی اطمینان اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف میری ہی آواز نہیں ہے یہ کروڑوں مسلمانوں کی آواز ہے -

میرے خیال سے اگر وقف جائدادوں کا مسئلہ حل ہو جائے تو اس ملک کا مسلمان مدد کے لئے سرکار کی طرف آنکھ نہیں اٹھائے گا - ۱۹۴۷ء کے بعد سے برابر شور شرابا مسلمانوں کی طرف سے ہو رہا ہے اور کئی مرتبہ اس سوال کو اٹھایا گیا - لیکن کہیں تو اس کو کہیں -

آنریبل ڈپٹی اسپیکر صاحب میں عرض کرتا ہوں کہ اس ملک میں سیکولرزم اور وقف کے چار سب سے بڑے دشمن ہیں - نمبر ایک لینڈ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈیپارٹمنٹ - دلی

[شری جمیل الرحمن]

ایڈمنسٹریشن دوسرا ڈی - ڈی - اے - تیسرے ورکس اینڈ ہاؤسنگ منسٹری انکلوڈنگ ری ہیبیلی ٹیشن منسٹری اور چوتھے آرکیولوجیکل ڈیپارٹمنٹ آف انڈیا -

ملک میں ۱۹۴۷ع میں حالات نازک تھے - اس وقت ہم چھوٹے ہوتے تھے ہم کو کیا پتہ تھا کہ یہ کیا چیز ہے - ان نازک حالات میں مسلمانوں نے اپنے کو خطرے میں محسوس کیا اور وہ اپنی اپنی جگہوں سے دوسری جگہوں پر شفٹ ہو گئے - ۱۹۷۱ع میں مسلمانوں میں اعتماد آیا جب کہ شریمتی اندرا گاندھی جیت کر آئیں تو وہ (مسلمان) اپنی اپنی جگہوں پر جا کر پھر بسے اور انہوں نے اپنی اپنی جگہوں کو حاصل کرنے کا سوال اٹھایا - لیکن ہوا کیا - ابھی تک ان جائدادوں کو ریلیز نہیں کیا گیا - اس کے لئے ہم کس کو بلیم کریں کس کو کہیں - یہ بات میں آپ کے ذریعہ سے سرکار کو کہنا چاہتا ہوں اور کہہ رہا ہوں -

دوسری بات یہ ہے کہ ۱۹۷۴ع میں برنی کمیٹی کی انٹیرم رپورٹ آئی تھی - ۱۹۷۶ع میں رپورٹ سبمٹ ہوئی چھ ساڑھے چھ سال ہو گئے ہیں ابھی تک زیر غور ہے - کب تک غور ہوگا - اس کی کوئی سیما ہونی چاہئے لمیٹیشن ہونی چاہئے - ۱۹۷۵ع تک آپ نے لمیٹیشن بڑھانے کو کہا ہے کیا مقصد ہے - پہلے بات دل و دماغ میں آتی ہے اس کے بعد چہرے پر اور بعد میں ہاتھ پیر ایکشن میں آتے ہیں - ڈپٹی اسپیکر صاحب - دلی بھارت کا دل ہے اگر یہاں پر کوئی بات ہوتی ہے تو اس کی ہوا سارے دیش میں پھیلتی ہے - یہاں پر سینکڑوں دوسرے غیر ممالک کے لوگ رہتے ہیں وہ بھی اس بات کو دیکھتے ہیں - اس لئے اگر تھوڑی سی بھی بات ہوتی ہے تو پورے ہندوستان میں اس کا ذکر ہوتا ہے - ترکمان گیٹ کی گھٹنا صحیح تھی یا غلط اس بات میں میں نہیں جانا چاہتا لیکن ۱۹۷۷ع کی اس گھٹنا کا اثر جو ہندوستان پر پڑا ہے وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے - ان باتوں میں میں نہیں جانا چاہتا - برنی کمیٹی کی رپورٹ کو چھ سال ہو گئے کیوں نہیں ایک کمپری ہینسیو بل آتا ہے - ۱۹۸۵ع تک ایکسٹینڈ کرنے کا کیا مقصد ہے - تاکہ جو وقف کی بچی کچی جائدادیں دہلی میں ہیں وہ بھی صاف ہو جائیں -

ریکوری کی کوئی بات نہیں آئی کہ جائداد وقف کو یا مسلمانوں کو واپس ہوں اس کی بات نہیں آئی - ایکسٹینشن دینے سے کیا ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جیسے شیخو سرائے اور یوسف سرائے میں قبرستان تھا

اس پر چاروں طرف ڈی - ڈی - اے -
کا قبضہ ہو گیا ہے - ایک مسجد
موتھہ ہے جہاں پہلے مسلمان بستے
تھے وہ واپس آ گئے ہیں لیکن وہاں
پر آرکیولوجیکل ڈیپارٹمینٹ کا قبضہ
ہے - کوئی سلوشن نہیں ہو رہی ہے -
اور نہ مسجد واپس ہوئی ہے - پرانی
دلی میں ایک مسجد بس ٹرمینل
کے پاس جو ٹوٹ پھوٹ گئی ہے
مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی جگہ
نہیں ہے - پہاڑ گنج کی مسجد میں
ہوٹل بن گیا ہے - ایک درد ہو تو
آپ کو بتائیں یہ تو لا علاج مرض ہے -

ڈپٹی اسپیکر صاحب - آپ بڑے
صاف ذہن کے آدمی ہیں - آپ اس
اسٹیٹ سے آئے ہیں جہاں پڑھے لکھے
لوگوں کی سنکھیا زیادہ ہے - اس لئے
اس بات کا اثر آپ پر بھی ہے - آپ
کھلے ذہن کے پڑھے لکھے آدمی ہیں
لیکن میں نے یہ جو چار ڈیپارٹمینٹ
بتائیں ہیں ان میں ایسے لوگ ہیں
جن کا ایک اصول معلوم ہوتا ہے کہ
ان کی حرکتوں سے یہ معلوم ہے کہ
جیسے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اقلیت
ہندوستان میں نہ رہے ان کی جائداد
نہ رہے - وقف کو "ڈیڈیکیشن آف
گاڈ" مانا ہے - ایکٹ کے مطابق
دیکھا جائے -

"(a)" beneficiary' means a person or object for whose benefit a wakf is created and include religious, pious and charitable objects and any other objects of public utility sanctioned by the Muslim Law;"

اس کے نیچے دیا ہے -

"(i) Any person who has a right to worship or to perform any religious rite in a mosque, idgah, imambara, dargah, Khangah, Maqbara, graveyard or any other religious institution connected with the wakf or to participate in any religious or charitable institution under the Wakf;" .. ..

آپ محمدن ایکٹ میں دیکھیں کے
ایک مقصد کے تحت وقف کیا جاتا
ہے - اس میں دو قسم کے وقف ہوتے
ہیں - "فار دی پیوپل ان دی نیم
آف گاڈ" اور دوسرا ہوتا ہے اولادوں
کے لئے - تو کیا یہ چاروں ڈیپارٹمینٹ
کیا ان دونوں چیزوں میں آتے ہیں -
حصے دار یہ ڈیپارٹمینٹ نہیں ہیں
اور نہ ہی یہ وقف اہلے اولاد کی
کیٹیگری میں آتے ہیں - چاہے کوئی
بھی ڈیپارٹمینٹ ہو -

اس لئے میں عرض کر رہا تھا
کہ ہمیں ملنا چاہئے اور ہمارا پورا
سمرتھن ہے لیکن آپ پورا بل لائیے
اور اس طرح کی ویوستھا کیجئے کہ
وہ مسلمانوں کی وقف جائدادیں بچ
سکیں - جس پرپز کے لئے وہ جائدادیں
دی گئی ہیں ان کو پورا کیا جا سکے -
اسکول بنیں کالج بنیں ہسپتال
بنیں ڈیولپمینٹ کے لئے اپیوگ کیا
جائے - ہسپتال بنیں لڑکی اسکول
بنیں ان کے ڈیولپمینٹ کے کام ہوں -

[شری جمیل الرحمن]

میں آنکڑے دے رہا ہوں وقفوں کی حالت سارے ملک میں بری ہے دلی میں تو اور بھی بری حالت ہے - اتنی افراتفری کیوں مچی ہوئی ہے کس وقت زمین بیچ کر کوئی کوئی فرار ہو جائے گا پتہ ہی نہیں چلتا - سرکار کے پاس کوئی سادھن نہیں ہے کہ اس کو واپس لوٹا جا سکے - آپ آنکڑوں دیکھیں - ۱۳۴ جائدادیں ورکس اینڈ ہاؤسنگ کے تحت ڈی - ڈی - اے - کے قبضے میں اس وقت بھی ہیں - ۱۰۸ جائدادیں لینڈ اینڈ ڈیولپمنٹ کے قبضے میں ہیں کیوں اس کے بارے میں کاروائی نہیں ہوئی ہے - جب سات آٹھ منزلہ عمارتیں بن جائینگی تب نہلد توڑنے کی کہا - کیا مطلب ہے اس کا - میں بھیک نہیں مانگ رہا ہوں بھکاری نہیں ہوں - اپنا حق مانگتا ہوں - ان وقف کی جائدادوں کو واپس کیجئے - ان کو لینے والے دوسرے آدمی نہیں ہو سکتے ہیں - یہ چار ڈیپارٹمنٹ لینے والے نہیں ہو سکتے ہیں - جو وارث ہیں وہی ہو سکتے ہیں - پندرہ کروڑ مسلمان ہندوستان کے ان کے وارث ہیں -

ابھی آپ نے سروے نہیں کیا ہے ان جائدادوں کا - کم سے کم دلی کی جائدادوں کا آپ سروے تو کرائیں اور سدن کو جو نتیجہ نکلے بتائیں کہ دہلی میں کتنی وقف کی جائدادیں ہیں اور کتنے کروڑ کی ہیں اور دلی میں کتنی ہیں اور کتنے کروڑ کی ہیں

MR. DEPUTY-SPEAKER: When a comprehensive Bill comes, you must give sufficient time for that. You are exhausting everything on this occasion.

SHRI JAMILUR RAHMAN: You must allow me at least 45 minutes. I pray to God that you should be in the Chair on that particular day when that comprehensive Bill come.

پریس کے بارے میں بڑی لمبی بات ہوئی ہے آج - یہ کہا جاتا ہے کہ بہار سرکار نے (۲۹۲) (اے) لا کر پریس کے ادھیکار میں ہستکشیپ کیا ہے - کالنگ اٹینشن پہلے پہل سدن میں آیا تھا - ایک دو پرشن میں ان کے لئے بھی رکھنا چاہتا ہوں - سدن میں اس کا جواب تو نہیں مل پائے گا - مالک ادھیکاروں کا میں بڑا حامی ہوں - علمبردار ہوں - پریس کو نیشنل پریس کہا جاتا ہے لیکن میں تو اس کو کیپیٹلسٹ پریس مانتا ہوں - میں چاہتا ہوں کہ بتایا جائے کہ اقلیتوں کی جائدادوں پر جس قدر ظلم ہو رہا ہے اور ان کی اکونومک اور سوشل حالت جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ کے لئے بھی کہا آج تک یہ نام نہادی نیشنل پریس نے کچھ لکھا ہے - کہا ہم ہندوستان کے شہری نہیں ہیں - جب کوئی فساد کا معاملہ

پیدا ہوتا ہے گڑبڑی پیدا ہوتی ہے
پریس والوں کو بہت ڈالر نظر آتے
ہیں - لیکن کیا انہوں نے کبھی یہ
بھی بتایا ہے کہ کتنے مسلمان اور
کتنے غیر مسلمان ملک کے باہر ہیں
اور وہ کتنے پیٹرو ڈالر الگ الگ
ہندوستان میں بھیجتے ہیں - جب
پیٹرو ڈالرز کا الزام لگایا جاتا ہے تو
یہ بھی بتایا جانا چاہئے کہ کتنے
مسلمان ہندوستان کے باہر ہیں اور
کتنے غیر مسلمان باہر ہیں اور دونوں
الگ الگ کتنے پیٹرو ڈالر ہندوستان
میں لاتے ہیں یا بھیجتے ہیں -
پریس کی آزادی کا میں بڑا حامی
ہوں علمبردار ہوں - ۱۹۷۱ع سے ۱۹۷۷ع
تک میں ممبر رہا ہوں - پارلیامنٹ
کی کاروائی گواہ ہیں کہ میں اسمال
اور میڈیم نیوز پیپرز کا ہمیشہ حامی
رہا ہوں - گجرال صاحب منسٹر تھے
دیگر لوگ بھی رہے شکلا جی بھی
تھے سب اس بات کے گواہ ہیں کہ
میں کتنا بڑا علمبردار اسمال اینڈ
میڈیم نیوز پیپرز کا رہا ہوں اور اس
چیز کو پارلیامنٹ کی پروسیڈنگز
بھی ثابت کر دیگی لیکن یہ نام نہادی
نیشنل پریس والوں کو کون سمجھائے -

درگا کلو کھیڑی کا معاملہ دلی
میں ابھی بھی پینڈنگ ہے - دوسرا
کوئی دیکھ کر سکتا ہے لیکن میں
نہیں چاہتا کہ اس معاملے کو درگزر
کر دیا جائے - اہم معاملہ ہے - اس
کو میں درگزر ہونے بھی نہیں دونگا -
۲۹ تاریخ کو پچھلے مہینے کی میں
خود وہاں گیا تھا -

میں درگاہ شریف گیا تھا کلو
کھیڑی میں درگاہ کے علاوہ چھوٹے
چھوٹے قبرستان بھی ہیں - ڈی - ڈی -
اے - کے بلڈوزرز شان سے چل رہے تھے -
جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے چار
پانچ ڈیپارٹمنٹ میں ایسے لوگ
ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر
ہم لوگوں کا خاتمہ ہو جائے - لیکن
میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ میں
اتنا کمزور جان نہیں ہوں میں آسانی
سے ختم ہونے والا نہیں ہوں ہندوستان
سے وہ چاہے وہ کتنی کوشش کریں
چاہے کتنا دنگا فساد کریں - ہم جس
قیادت پر یقین کرتے ہیں اس کا ایمان
ہے سوشلزم پر اور سیکولرزم پر -

MR. DEPUTY-SPEAKER: You are a part and parcel of the Indian nation. No question of eliminating.

SHRI JAMILUR RAHMAN: Yes; I claim it. My father claimed it and his father claimed it. My son also will claim it.

اگر وہ ایکسٹرا فورسز ہمیں ڈرانا
دھمکانا چاہتی ہیں تو جمیل الرحمن
اور اس کی سات پشتوں کے لوگ
ڈرنے والے نہیں ہیں -

کلو کھیڑی کا مزار ایک متبرک
مقام ہے - ابھی پچھلے مہینے ۲۹
تاریخ کو میں گیا تھا مزار میں
چھلنی قبریں ہیں - ابھی سرائے پر

[شری جمیل الرحمن]

صاحب کے مزار وہ سب توڑ پھوڑ کر برابر کر دی گئی ہیں - پیپل کے پانی کا جو کنواں تھا اس کو توڑ کر برابر کر دیا گیا ہے - اتنا ہی نہیں وہاں چار پیپل کے درخت ہیں - ان کے چاروں طرف چبوترا بنا دیا گیا ہے۔ اور مزار کو بند کر دیا گیا ہے - آپ غور فرمائیں - کہ یہ کس بات کا سنکیت ہے کس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک طرف تو قبروں کو ختم کیا جا رہا ہے کنویں کو ختم کر دیا گیا ہے دوسری طرف پیپل کے درختوں کے چاروں طرف چبوترا بنا کر ڈھول بجایا جا رہا ہے - اس کے معنی یہ ہیں کہ فساد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے -

اس لئے میری گزارش ہے کہ منسٹر صاحب مہربانی فرما کر کمپریہینسیو لائیں - شعر کے مطابق کہیں ایسا نہ ہو کہ "ہم خاک ہو جائیں گے تیری زلف کے سر ہونے تک -" سرکار لیمیٹیشن پیریڈ کو بڑھاتی جائے اور ڈی - ڈی - اے - آرکیولوجیکل ڈیپارٹمنٹ اور ورکس اینڈ ہاؤسنگ ڈیپارٹمنٹ سب وقف کی خالی زمینوں اور مکانوں پر قبضہ کرتا جائے اور کوئی جائداد ہی نہ بچے تو مقدمہ کس بات کا یہ بات میں سنکیت کے طور پر کہہ رہا ہوں -

ابھی آنریبل منسٹر کی طرف سے کہا گیا ہے کہ دلی وقف بورڈ نے دلی ایڈمنسٹریشن کو اپروچ کیا اور اس لئے ضرورت پڑی کہ وقف ایکٹ میں ایمنڈمنٹ لا کر اس کو لمیٹیشن ۱۹۸۵ء کے آخر تک بڑھا دیا جائے - معظم وزیر صاحب کو شکوہ کس سے ہے - ہم لوگوں سے یا اس سدن سے - جو آدمی مجرم کے کٹہرے میں کھڑا ہے جو اس کام کو کرا رہا ہے لینڈ ڈیولپمنٹ وبھاگ وہی اپروچ کر رہا ہے کہ اس ایکٹ کو بڑھایا جائے - اس کی نیت بہت خراب ہے کہ ٹائم کو ایکسٹینڈ کر کے موقع ملے اور ایکوائر کر کے مسلمانوں کی ساری جائداد کو نیست و نابود کر دیا جائے نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری -

میرا دل چاہتا ہے کہ ہر ایک کو اس کا جائز حق ملنا چاہئے یہی ہماری پارٹی کا اصول ہے اور یہی ہماری نیتا کا اصول ہے اور ہم اور ہماری پارٹی اس کے بارے میں کسی سے کمپرومائز کرنے کے لئے تیار نہیں ہے - ہماری پارٹی اور ہماری نیتا اس غلط رویے کے خلاف ہو وہ قدم اٹھا سکتے ہیں جو جائز اور درست ہیں -

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतीहारी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हूं । हम और हमारी

पार्टी इस बात के लिए कृतसंकल्प है कि अल्पमत समुदाय, चाहे वह कोई भी अल्पमत समुदाय हो, के हुकूक की हिफाजत करने के लिए---धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषायी और दूसरे हुकूक---सहयोग करना चाहिए, योगदान करना चाहिए और उनका दृढ़तापूर्वक पालन करना चाहिए ।

जनाब जमीलुर्रहमान साहब ने अपने भाषण में वक्फ की बातें तो कही हैं, जिनकी मैं ताईद करता हूं, मगर उसके अलावा अपनी, अपनी पार्टी और अपनी नेता की बात कही है । मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि आपकी नेता है, आपकी पार्टी है और आप हैं, यह कानून चार पांच बार क्यों बदलना पड़ा ? आज तक दिल्ली में सर्वे क्यों नहीं हुआ ? कांग्रेस सरकार थी या नहीं थी ? इन्दिरा गांधी थीं या नहीं थीं ? आप थे या नहीं थे ? यह क्यों बार बार कानून पास करना पड़ रहा है ?

आप ने ही पूछा है और बहुत से माननीय सदस्यों ने पूछा है कि क्या गारंटी है कि 85 के बाद फिर यह कानून बदलना नहीं पड़ेगा ? मेरा पहला प्रश्न है कि मंत्री महोदय जब जवाब दें तो वह इस बात को स्पष्ट करें कि यह सर्वे कब तक समाप्त हो जाएगा और कब तक यह जो प्रापर्टी है जो दबायी गई है, जिस का इस्तेमाल मुस्लिम अवाम के विकास के लिए नहीं हो रहा है उस की गारन्टी कब होने जा रही है ? जब तक यह गारन्टी नहीं देंगे पार्लियामेंट आएगी, कानून बनेंगे, बदलेंगे लेकिन जिस सवाल के लिए आप को बेचैनी है, वह बेचैनी दूर होने वाली नहीं है । इस बात को आप समझ रखिए ।

मौलाना साहब ने सही कहा है कि वक्फ की सम्पत्ति दो किस्म की है । जो सम्पत्ति आप के वारिस को मिलने वाली है उस सम्पत्ति को ले कर आप गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं तो वह ठीक नहीं है । इस लिहाज से हम यह कह रहे हैं, हम जानते हैं, वक्फ की सम्पत्तियों के ऐसे ऐसे तजर्बे मिले हैं कि क्या कहा जाए ? मैं उन लोगों के विषय में नहीं कह सकता हूं जो मुस्लिम मजहब के हैं लेकिन हम जानते हैं कि मन्दिरों और मठों में राम और लक्ष्मण में झगड़ा होता है । लक्ष्मण कहते हैं कि यह हमारी प्रापर्टी है और राम कहते हैं कि हमारी प्रापर्टी है । और वह झगड़ा कौन तय करता है ? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट के जज साहब उस झगड़े को तय करते हैं । कितनी बदतर हालत मठों की हो गई है ?

बिहार में बोध गया में मठ है, उस में हजारों हजार एकड़ जमीन है। मैं जानता हूं मधुबनी जिले के बोर्डर पर एक मठ है जिस में हजारों हजार एकड़ जमीन है । हदबन्दी कानून बिहार में लागू करने की बात हो रही है । लेकिन मठों के हाथी के नाम पर, बैल के नाम पर, घोड़े के नाम पर बांट कर सारी जमीन हड़प ली जाती है । उस से उस सम्प्रदाय विशेष के जिस के लिए मठ की कल्पना की गई, मन्दिरों की कल्पना की गई जिस के विकास की और जिस की संस्कृति और सभ्यता के विकास की कल्पना की गई वह पूरी न हो कर ये सारी चीजें आज लूट का साधन बन गई हैं । माननीय सदस्यों ने ठीक कहा है, उन के यहां भी ऐसी बुराई है । मैं जानता हूं अपने जिले के बारे में, वहां एक मदरसा है, उस की कोई कमेटी थी, उस के सक्रेटरी ने 25 हजार रुपया हजम कर लिया । उस के बाद तमाम धार्मिक और कानूनी लड़ाइयां लड़ी जाती रहीं, लेकिन आज तक उस ने वह रुपया नहीं दिया । न देने के बाद भी आज वह उस मदरसे को हजम किए हुए हैं ।

वक्फ बोर्ड में जो गड़बड़ियां होती हैं उन बातों में भी सुधार लाने के लिए विधेयक लाना चाहिए । इसलिए जिन माननीय सदस्यों ने मांग की है कि एक काम्प्रीहेंसिव बिल लाना चाहिए, वह सही है । यह पैवन्द लगाने से काम नहीं चलेगा । भोजपुरी में एक कहावत है थूक चाटने से प्यास नहीं जाती है । ऐसे ही यह प्यास ऐसे नहीं बुझने वाली है । आप बाजाब्ता बिल लाइए । सारे देश के वक्फ में चलने वाली गड़बड़ियों को दूर कीजिए । पुराने जमाने में खलीफों के वक्त में यह वक्फ बना जहां तक मैं जानता हूं लेकिन जिस

[श्री कमला मिश्र मधुकर]

मकसद के लिए बना वह मकसद पूरा होना चाहिए, हिन्दुस्तान में भी पूरा होना चाहिए । अगर आप सचमुच चाहते हैं डेमोक्रेसी को चलाना तो डेमोक्रेसी का तकाजा है । मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं जैसे जमीलुर्रहमान साहब भाषण दे कर चले गए । हम इस को सूझ बूझ की बात मानते हैं । हमारी पार्टी इस को सिद्धान्त की बात मानती है और सिद्धान्त के लिहाज से मैं समझता हूं कि ऐसी बात होनी चाहिए ।

इसलिए मेरी मांग है सरकार से कि वक्फ बोर्ड की कोई लीगल पोजीशन आज नहीं है, वह कह दे तो वह कमिश्नर के यहां जाए, कलेक्टर के यहां जाए, उसका नतीजा हो रहा है कि जो समपत्ति ली गई है वक्फ की, जिसका दुरुपयोग हो रहा है उस को वह लोग एविक्ट नहीं कर सकते हैं । उन को पावर नहीं है । इस बात पर सोचना चाहिए सरकार को कि उन को कोई कनूनी अधिकार मिलना जारी है या नहीं मिलना जरूरी है ?

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड का डेमोक्रेटाइजेशन नहीं हुआ है । राज्य सभा में भी इस संबंध में मांग उठाई गई थी । दिल्ली में ही जो वहां की मस्जिदें हैं, वहां के स्थानीय मुसलमानों को लेकर और वहां के वक्फ बोर्ड का चुनाव होना चाहिए । उसका जनतन्त्रीकरण होना चाहिए । ताकि वहां के लोगों को उस सम्पत्ति को लूटने का मौका ही न मिल पाए । दोहन और लूटन---हिन्दू हो या मुसलमान---चलता है धन के नाम पर । इस ओर आपका ध्यान देना चाहिए।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं, वक्फ सम्पत्ति का सर्वे कब तक पूरा होगा ? उसके लिए आप सदन में आश्वासन दीजिए। इस सम्बंध में आप कौन सी मशीनरी डवेलप करने जा रहे हैं । इतने दिनों तक सर्वे नहीं हुआ है और चार बार आप संशोधन कर चुके हैं । अब संशोधन करने के बाद कौन सी आप नई मशीनरी डवलप करने जा रहे हैं, जिससे कि 1985 तक सर्वे का काम तेजी के साथ पूरा हो जाए ।

इन चीजों को दुरुस्त न कीजिएगा, तब तक मुसलमानों के दिल में जो आशंकाएं हैं, वे आशंकाएं बनी रहेंगी । उन आशंकाओं को दूर करने की जिम्मेदारी आप की है, इस संबंध में आपको कदम उठाने चाहिए । आपकी पार्टी की नेता, श्रीमती इंदिरा गांधी, की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है, उसमें मेल होने के लिए यह जरूरी है कि आप हाउस में आवाम की आवाज को लेकर आए हैं, उस आवाज की गम्भीरता को समझिए । इसको हल्के-फुल्के ढंग से मत लीजिए । यहां लोग आवाम की आवाज को बोल रहे हैं, काम की बात को आपके सामने रख रहे हैं । उन सब बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए । जिस उद्देश्य से आप यह बिल सदन में लाए हैं, उसकी पूर्ति होनी चाहिए । इसलिए मैं भी इसके हक में हूं और जो आशंकाएं जाहिर की गई हैं, उनके बारे में आपको सफाई करनी चाहिए । जो सवाल उठाए गए हैं, उन सवालों का समाधान आपके जवाब में होना चाहिए, ताकि आइंदा बिल को एक्सटेंड करने की जरूरत ही न पड़े । मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।

श्री मुजफ्फर हुसैन (बहराइच): जनाब, डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आप की मारफत अपनी हुकूमत की तवज्जह न सिर्फ दिल्ली की ओर दिलाना चाहता हूं, बल्कि मुल्क के दूसरे हिस्सों के वक्फ की ओर भी दिलाना चाहता हूं ।

जहां तक दिल्ली के वक्फ का सवाल है, तो किसी शायर ने इसी से मुतअस्सिर होकर कहा है---चेहरे पर सारे शहर के गर्दे मलाल है, जो दिल का हाल है, वही दिल्ली का हाल है । उलझन, घुटन, हिरास, तपिश कर्ब इनतेशार, वह भीड़ है कि सांस भी लेना मुहाल है ।

वक्फ के सिलसिले में हमारे सदन के मेम्बरान ने आपके सामने बहुत सी तजवीजें रखी हैं ।

श्री जैनुल बशर : सारे बेईमान नहीं हैं, कुछ ईमानदार भी हैं ।

श्री मुजफ्फर हुसैन : मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस हिन्दुस्तान को आजाद हुए आज 35 साल गुजर चुके हैं। हिन्दुस्तान के अन्दर फसादात हुए, मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, उसका न मुझे तजकिरा करना है और न इतना वक्त है। लेकिन मैं समझता हूं कि जो लोग भी हमारी मस्जिदों और कब्रिस्तानों का तजकिरा कर रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि आप सदन में इसका तजकिरा करना छोड़ दें। इसलिए छोड़ दें कि हमारी आजादी को 35 साल बीत चुके हैं, हमारे जिन्दों का भारतीयकरण करने का बहुत से लोगों ने मनसूबा बनाया था, लेकिन जिसको खुदा रखे, उसको कौन चखे। 35 साल आजादी के गुजर जाने के बाद हमारी आबादी चार करोड़ से 15 करोड़ हो गई है और ऐसे लोग जो हुकूमतों की मशीनों में दाखिल हैं, वे हमारे जिन्दों और मुर्दों को भी अपनी कब्रों में देखना पसन्द नहीं कर रहे हैं। और वे चाहते यह हैं कि किसी सूरत में इस हकूमत की पेशानी पर कलंक का टीका लगे। आज मैं यह कहने के लिए तैयार हूं कि डी. डी. ए. और दीगर एजेन्सियां जो हैं, उन में अगर हिम्मत या जुर्रत हो, तो जरा वे साउथ ब्लाक में, साउथ एवेन्यू में चल कर या नार्थ एवेन्यू में चल कर किसी गुरुद्वारे की दीवार को हाथ तो लगा दें, किसी मन्दिर को तोड़ दें, किसी मन्दिर पर बुलडोजर चला दें, किसी को गिरा दें ? किसी में हिम्मत है कि वह इस को कर सके। फिर क्या वजह है कि हुकूमत के साये में, हुकूमत की निगरानी में, हुकूमत को देखते हुए, जहां मिनिस्टर मौजूद हैं, जब वहां कोई मन्दिरों को हाथ नहीं लगा सकता, गुरुद्वारों को कोई छू नहीं सकता, हमारी मस्जिदों पर आप की मशीनें चल रही हैं और हमारे बाप-दादाओं की हड्डियों पर आप की मोटरें चल रही हैं, जिन पर आप ने हजारों पुल बनवा दिये और हजारों सड़कें बनवा दी। तो मैं समझूंगा कि इस हुकूमत के, जिम्मेदार लोगों के मन में मुस्लिम कौम से कोई हमदर्दी है या नहीं ? मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारा घर है और निगरानी आप की है मैं कल देख कर आया हूं। मस्जिदों में होटल बने हुए हैं। मैं कल देख कर आया हूं कि नई दिल्ली स्टेशन से जाते हुए रास्ते में मस्जिदों में कारखाने बने हुए हैं। न जाने हजार बार यहां के मुसलमानों ने इस तरफ तवज्जह दिलाई लेकिन सिवाय डी. डी. ए. के कब्जे के और कुछ नहीं हुआ। इसलिए मैं डी. डी. ए. को ही कसूरवार नहीं ठहराऊंगा बल्कि जो सुन्नी मजलिसे औकाफ के जो जिम्मेदार हैं, वह भी कसूरवार हैं इस चीज के लिए। पहले तो डी. डी. ए. को कब्जा करते वक्त, वे मुकदमा दायर करते हैं, मदाखलत करते हैं लेकिन बाद में समझौता कर के उन से रुपया ले कर मस्जिद और कब्रिस्तान बेच डालते हैं। इसलिए जहां डी. डी. ए. मुजरिम है, वहां साथ ही साथ सुन्नी मजलिसे औकाफ भी मुजरिम है। यह बात नहीं है कि उन को अपना समझ कर मैं माफ करूंगा। वे इस में सब से बड़े कसूरवार हैं क्योंकि वे हमारी मस्जिदों और कब्रिस्तान को डी. डी. ए. से पैसा ले कर बेच रहे हैं। ऐसे वक्त बोर्ड को तो देना चाहिए। उन को हक हासिल नहीं है कि मुसलमानों की जायदाद पर डी.डी. ए. का कब्जा कराए और हुकूमत को बदनाम करें।

दूसरी गुजारिश इस सिलसिले में मैं यह करूंगा कि जहां तक सुन्नी मजलिसे औकाफ का ताल्लुक है, 1961 के अन्दर इसी लाल किले के मैदान में मैं ने एक आल इन्डिया सुन्नी औकाफ कान्फ्रेन्स की थी, जिस जमाने में पं. जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे और हाउसिंग मिनिस्टर माननीय श्री मेहर चन्द खन्ना थे। हम लोग तीन दिन की कान्फ्रेंस के बाद सारे मेमोरेण्डम ले कर पंडित जी की खिदमत में हाजिर हुए। पंडित जी ने हमारे मेमोरेण्डम को बहुत गौर से पढ़ा हम ने 1947 से पहले दिल्ली की सर-जमीन पर जितनी मस्जिदें मौजूद थी, जितने कब्रिस्तान मौजूद थे, उन के फोटो लिए और साथ 1947 के बाद जो मस्जिदें और कब्रिस्तान मुख्तलिफ शकलों में तब्दील किये गये थे, जिनका कितावचा बाजावता फोटो के साथ मेरे पास अब भी मौजूद है, उन को

[श्री मुज़फ्फर हुसैन]

दिखाया। पंडित जी ने और मेहर चन्द खन्ना साहब ने, हमारी मस्जिदों को, कब्रिस्तानों को उन रिफ्यूजीज से, जो मस्जिदों में आबाद हो गये थे और कब्रिस्तानों में जिन्होंने दूकानें बना ली थी, खाली करा कर मजलिसे औकाफ को दे दिया। दो साल तक पंडित जी जिन्दा रहे और सन् 1964 के बाद आहिस्ता-आहिस्ता खामोशी के साथ उन पर गवर्नमेंट की एजेन्सियां काबिज होती गई और जबर्दस्ती पुलिस के जरिये कब्जा करती गई। मुसलमान निहत्थे, परेशान-हाल उन का मुकाबला न कर सके और इस तरीके से आज भी वे काबिज हैं। मेरे पास दिल्ली की 700 मस्जिदों की लिस्ट मौजूद है, जिन पर आज भी गैरों का कब्जा है इस अन्दाज में कि उन मस्जिदों में कहीं पर होटल हैं, कहीं मोटर के कारखाने हैं या टी-स्टाल हैं और जो बड़ी मस्जिदें हैं, तो उनमें लोगों ने अपने रिहायशी मकान बना लिए हैं और कुछ मस्जिदों में लोग पाखाना फिर रहे हैं। तो इस की जिम्मेदारी हुकूमत पर है। अगर इस के जेरे-साये 15 करोड़ मुसलमानों की जिन्दगी महफूज न हो और अगर हमारी मस्जिद, हमारे मकातिब, हमारे कब्रिस्तान, हमारी इबादतगाहें और हमारे आबा-ओ-अजदाद के आस्ताने आप की हुकूमत में महफूज न रहें, तो आप हम से क्या उम्मीद रखते हैं कि हम आप का साथ देंगे। क्या मुसलमान इसलिए पैदा किया गया है हिन्दुस्तान की सर-जमीन पर कि जब इलेक्शन आ जाए, तो उन के वोट ले कर आप हुकूमत की कुर्सी पर बैठ जाएं और जब इलेक्शन खत्म हो जाए, तो उस को जिन्दों व मुर्दों को भी इस सर-जमीन पर भी न रहने दिया जाए। ... (व्यवधान) .. हमारी सरकार हो या कोई सरकार हो, अगर हमारी सरकार की खामी है, उस में कोई कमी है, तो मुझे वह कहने में उज्र नहीं। इसलिए कि मैं हिन्दुस्तान का वासी हूं न कि पाकिस्तान का और न बंगलादेश का। इस मुल्क में अगर दूसरी कौमों ने कुर्बानियां दी हैं तो मुसलमान कौम की कुर्बानियां भी किसी से कम नहीं हैं। हमारा हक है कि हम अपने हक को हासिल करें हम इस मुल्क के हकदार हैं। आपका यह फर्ज है कि आप हमारी हिफाजत करें।

मैं आप से अर्ज करता हूं कि आप वक्फ को तोड़ दें और सूबे में और हर कमिश्नरी में वक्फ कमिश्नर मुकर्रर करें और कमिश्नर गैर-मुसलिम हो। एक गैर-मुसलिम के दिल में दर्द होगा। लेकिन मुसलमान तो अपनी मस्जिद को खुद बेच देता है। अगर हिन्दू कमिश्नर होगा तो उसके दिल में दर्द होगा कि मुसलमान हमारे देश से न जाने पायें, मुसलमानों की जायदाद तल्फ न होने पाये। लेकिन मुसलमान तो अपनी मस्जिद खुद बेच देता है। उसके दिल में दर्द नहीं होता। औरों के दिल में खुदा का खौफ होगा, मुसलमानों की मस्जिदों की, जायदादों की हिफाजत करेगा। आप इन वक्फ बोर्ड को तोड़ दीजिए और किसी भी मुसलमान को वक्फ कमिश्नर मत बनाइये। हिन्दू, सिख, ईसाई किसी भी कौम के आदमी को वक्फ कमिश्नर मुकर्रर कीजिए ताकि वे हमारे मजहब, हमारे जजबात का लिहाज करें, हिफाजत करें। वे हमारी जायदादों की हिफाजत करेंगे, उनमें डर होगा कि अगर हमने इन्हें तोड़ डाला या बेच डाला तो बगावत फैल जाएगी। उस से हमारी जायदादें महफूज रहेंगी। अगर किसी मुसलमान को आप बना देंगे तो मुसलमानों को न खुदा का खौफ है, न रसूल खौफ है, न मजहब का खौफ है। वे अपने बाप-दादाओं की जायदादों को भी बेच डालेंगे और उनके दिल में दर्द भी नहीं होगा।

श्री जैनुल बशर: आप सब मुसलमानों को बेईमान क्यों कहते हैं? कुछ मुसलमान बेईमान हो सकते हैं।

श्री सैयद मुजफ्फर हुसैन: मैं सब जगह की बातें जानता हूं। उत्तरप्रदेश का इस से भी बुरा हाल है। दिल्ली म तो जायदादें और मस्जिदें बेच ही रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए मैं आप से कहता हूं कि वक्फ बोर्ड को तोड़िये और वक्फ कमिशनर मुकर्रर कीजिए जिससे कि मुसलमानों की बहुत बड़ी जायदाद की हिफाजत हो सके और मुसलमानों के बच्चों की तालीम और तरबीयत हो सके। इस से सही मायनों में मुसलमानों की मस्जिदों की हिफाजत हो सकेगी और उनसे होने वाली आमदनी भी सर्फ हो सकेगी। इसका इस्तेमाल भी

वाकिफ की मन्शा के मुताबिक हो सकेगा। इस तरह से हमारी जायदादें महफूज हो जाएंगी। वरना चाहे आप डी. डी. ए. के हाथ में डालें और किसी और एजेन्सी के हाथ में डालें, हम आप से शिकवा करेंगे और आप उनसे कुछ कह न सकेंगे।

मैं आप से गुजारिश करूंगा कि चाहे उत्तर प्रदेश में हों, चाहे बिहार और गुजरात में हों, चाहे दिल्ली में हों, आपने वक्फ बोर्ड में सब उन्हीं लोगों को रखा है जिनको कि आप समझते हैं कि आजादी के पहले इन्होंने हमारा साथ दिया था। मैं आप से कहता हूं कि अगर आपको उनकी परवरिश करनी है तो कीजिये मुझे कोई एतराज नहीं है। नेपाल के बार्डर पर बहुत मैदान पड़े हैं, वहां उन्हें जगह दीजिए। वहां वे खेत बोंए, जोतें और अपना गुजर करें। लेकिन आजादी के लिए दी गई कुर्बानी के लिए हमारे बाप-दादाओं की जायदादें बेचने का उनको हक हासिल नहीं है।

मैं आप से फिर गुजारिश करता हूं कि आप वक्फ बोर्ड तोड़िए और वक्फ कमिश्नर मुकर्रर कीजिए। दिल्ली की सारी मस्जिदों और जायदादों के लिए आप पार्लियामेंट के 11 मेम्बरान की एक निगरां कमेटी बना दीजिए जो अपनी निगरानी में, बजरिए पुलिस कमिश्नर उनको खाली करा सके। इस से आपकी जम्हुरियत की लाज बचेगी और मुसलमानों की जायदादों की भी हिफाजत होगी।

बस मुझे यही अर्ज करना है।

श्री अशफाक हुसैन (महाराजगंज) : मोतरम डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इस बिल पर जिस तरह से बहस हो रही है. उसके मुआफिकतमें खड़ा हुआ हूं। मुआफिकतन करने का मतलब यह है कि जायदादों का मौका दे दिया जाए कि उनके लिमिटेशन खत्म हो कर के वे दूसरों के हवाले हो जाएं। इसलिए मैं इसको मुआफिकतमें खड़ा हुआ हूं।

जहां तक वक्फ की जायदाद का सवाल है और उस पर गासिबाना कब्जे का सवाल है, हमारे और साथियों ने, मौलाना साहब ने, जमीलुर्रहमान साहब ने, जैनल बशर साहब ने उसका जिक्र किया है। इधर के साथियों ने भी जिक्र किया है। इस सब पर बहस हुई है। मैं इस पर बोलते हुए एक बहुत भारी शख्सियत का एक खत पढ़ कर सुनाना चाहूंगा कि किस तरह से वक्फ की जायदाद पर सरकार के अहलकार सरकार के महकमे कब्जा किये हुये हैं। हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी शख्सियत, हुकूमत की वजीरेआजम के कहने, खत लिखने के बाद भी उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। मैं उस खत का थोड़ा सा हिस्सा पढ़कर सुनाना चाहता हूं जो प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 1974 में सूबों के, रियासतों के वजीरेआला और मर्कजी टेरीटरीज को लिखा था। श्रीमती गांधी ने लिखा –

> "I am deeply concerned over the fact that Wakf properties are under undue occupation of illegal occupants."

यहीं तक बात नहीं है, उन्होंने साफ साफ लिखा है –

> "The most distressing fact is that some of the properties are under the occupation of Government and local bodies."

बाद में फिर उन्होंने उसी खत में कहा –

> "I would request the Chief Ministers to bestow their attention to this point and see that these properties are given back to the Wakf Board, and the best way to do is to thrash out on what lines the property can be given."

यह 1974 की बात है और 1974 से अब तक 8 साल का समय गुजर चुका है। ऐसा लगता है जैसे कि कल इस सदन में कैपिटेशन फीस के बारे में बहस हो रही थी। कैपिटेशन फीस के मामले में प्रधानमंत्री की मर्जी है, केन्द्रीय सरकार की मर्जी है, और यहां तक कि बिहार सरकार की भी मर्जी है, कि कैपिटेशन फीस न ली जाये, लेकिन कैपिटेशन फीस ली जा रही है। बिहार, कर्नाटक और आंधप्रदेश जहां फीस

[श्री अशफाक हुसैन]

ली जा रही है वहां तो मान लिया जाए कि प्रधानमंत्री की रिट नहीं चल रही, लेकिन इस मामले में तो दिल्ली में जहां सीधी हुकूमत केन्द्रीय सरकार की है, अफसोस की बात है कि वहां भी प्रधानमंत्री की रिट नहीं चल रही है।

तो मामला इतना अहम है कि उसके लिए जरूरी है कि कारगर कदम, फौरी कदम उठाएं जाएं। जो सर्वे इस वक्त हो रहा है और जो एक्सटेंशन की बात कही गई है, इस बिल के जरिये, मेरी जानकारी में 31 दिसम्बर 1981 तक 2447 वक्फ की जायदादें दिल्ली के अंदर सर्वे हुई और उनमें से 1811 का गजट भी हो गया, लेकिन मैं यह जानना चाहूंगा कि गजट होने के बाद कब्जा कितनी जायदादों पर वक्फ बोर्ड को दिया गया ? और अगर नहीं दिया गया तो पोजीशन क्या है और क्या इसमें ज्यादातर डी. डी. ए. और सरकारी महकमे शामिल नहीं है ?

दूसरा सवाल लैण्ड एक्वीजीशन के बारे में है हमारे साथी श्री जैनुल बशर जी ने इसका हवाला दिया और एक खतरनाक पहलू की तरफ ध्यान दिलाया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से मस्जिद को भी एक्वायर कर लिया गया। तो अगर सरकार की वाकयी नीयत है कि मुसलमानों के पर्सनल ला में कोई दखलअंदाजी न की जाए तो लैण्ड एक्वीजीशन के जरिए मस्जिद, कब्रिस्तान, ईदगाह और इबादतगाहों या इस तरह की और जगहों को लैण्ड एक्वीजीशन एक्ट से मुस्तसना क्यों नहीं किया जाता। मैं मांग करूंगा कि इनको लैण्ड एक्वीजीशन एक्ट से मुस्तसना किया जाए। सब से ज्यादा खतरनाक बात यह है कि वजीरे आजम इस के बारे में खत लिखती हैं लेकिन दूसरी तरफ अभी पिछले महीने राज्य सभा में एक सवाल पेश हुआ था जिस में पूछा गया था कि बर्नी कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर सरकार क्या करने जा रही है जिस के जवाब में यह बताया गया था :

"The Government proposes to consider implementation of the recommendations of the Burney Committee Report with respect to the properties claimed by Delhi Waqf Board in phases."

आप फेजिज में करेंगे या एक साथ करेंगे, इस पर बुनियादी एतराज की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन सब से ज्यादा खतरनाक पहलू जो है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। वह खतरनाक बात यह है कि आपकी जुबान से निकल गया जानबूझ कर या बिना जाने बूझे इसका मतलब—

"But which are not required for the planned development of Delhi."

तब यह है कि वही जायदादें हवाले की जाएंगी बर्नी रिपोर्ट के मुताबिक जिन की दिल्ली के प्लांड डिवेलेपमेंट के लिए जरूरत नहीं होगी। आप समझ लें कि दिल्ली का प्लांड डिवेलेपमेंट ऐसा हाथी है, ऐसा परदा है जिस के पीछे सारी वक्फ की जायदादें हड़प की जा सकती हैं और उनको हड़प करने की साजिशें भी की जा रही हैं। इससे आप होशियार रहें।

गवर्नमेंट का एक कानून है :

Public Premises Eviction of Illegal Occupation Act.

वक्फ किसी एक आदमी की जायदाद नहीं होती है। अगर वाकई में आप वक्फ की जायदादों का कुछ तस्फिया चाहते हैं तो वक्फ की जायदादों का तस्फिया ला कोर्टस में, सिविल कोर्टस में नहीं हो पाएगा। आज तक का तजुर्बा यह है कि बीस-बीस साल तक पच्चीस-पच्चीस साल तक मुकदमे चलते रहे हैं और चलने के बाद भी वक्फ बोर्ड या दूसरे इदारे उनका तस्फिया नहीं करा सके हैं। मेरी मांग है कि वक्फ की जायदादों को यह जो एक्ट है इसके तहत लाया जाए और खाली कराया जाए क्योंकि ये भी पब्लिक प्रेमीसिज होते हैं।

कुछ लोगों में खुशफहमी है और वे समझते हैं कि वक्फ की जायदादें इतनी हैं कि इन से मुस्लिम कौम की तालीम का, समाजी बहबूदी का सारा इंतजाम हो सकता है और उस में शायद मदद की जरूरत न पड़े। लेकिन ऐसी बात नहीं है। कुछ दिन

पहले अखबारों में आया था कि 75 लाख की वक्फ की आमदनी में से दिल्ली में एक वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। सुर्खी यह थी इसका क्या हुआ ?

Rs 75 lakh Waqf Vocational Training Institute will be set up in Delhi soon.

क्यों यह स्कीम अमल में नहीं आई। दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से शायद यह शाया हुआ था या दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से इस को किसी ने शाया कराया था। तो क्या रुपया नहीं था ? अगर रुपया नहीं था तो इस तरह की खबर अवाम में गलतफहमी पैदा करने के लिए नहीं देनी चाहिए।

मैं एक और बात आप से कहना चाहूंगा और मंत्री जी से चाहूंगा कि उस पर गौर करें कि वक्फ का एक काम्प्रीहेंसिव कानून वह लाएंगे, उस में जो मेम्बरों ने उन को सलाह दी है और सदन के लोगों ने जो अपनी बात कही है, उस पर वह ध्यान रखेंगे लेकिन एक बात और वह ध्यान में रखें, उस पर गौर करें कि क्या वक्फ के कानून को सारी पाबन्दियों से बचाने के लिए कांस्टीच्यूशन के नाइन्थ शेड्यूल के अंदर लाया जा सकता है ? इस पासिबिलिटी पर भी वह गौर करें। जब कि लैंड सीलिंग एक्ट और तमाम तरह के कानूनों को तहफूज देने के लिए कांस्टीच्यूशन के नाइन्थ शेड्यूल का इस्तेमाल किया जाता है तो मुसलमानों के इस वक्फ के कानून को भी वह नाइन्थ शेड्यूल के तहत लाएं।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

شری اشفاق حسین (مہاراج گنج):

محترم ڈپٹی اسپیکر صاحب - اس بل پر جس طرح سے بحث ہو رہی ہے میں اس کی موافقت میں کھڑا ہوا ہوں - موافقت نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جائدادوں کو موقع دے دیا جائے کہ ان کے لمیٹیشن ختم ہو کر کے دوسروں کے حوالے ہو جائیں - اس لئے میں اس کی موافقت میں کھڑا ہوا ہوں -

جہاں تک وقف کی جائداد کا سوال ہے اور اس پر غاصبانہ قبضے کا سوال ہے ہمارے اور ساتھیوں نے مولانا صاحب نے جمیل الرحمن صاحب نے زین العابدین صاحب نے اس کا ذکر کیا ہے ادھر کے ساتھیوں نے بھی ذکر کیا ہے - اس سب پر بحث ہوئی ہے - میں اس پر بولتے ہوئے ایک بہت بھاری شخصیت کا ایک خط پڑھ کر سنانا چاہوں گا کہ کس طرح سے وقف کی جائدادوں پر سرکار کے اہل کار سرکار کا محکمہ قبضہ کئے ہوئے ہیں - ہندوستان کی سب سے بڑی شخصیت حکومت کی وزیر آعظم کے پہلے خط لکھنے کے بعد بھی ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگی - میں اس خط کا تھوڑا سا حصہ پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں جو پردھان منتری شریمتی اندرا گاندھی جی نے ۱۹۷۴ع میں صوبوں کے ریاستوں کے وزیر اعلیٰ اور مرکزی منسٹریز کو لکھا تھا - شریمتی گاندھی نے لکھا -

"I am deeply concerned over the fact that Wakf properties are under undue occupation of illegal occupants."

یہیں تک بات نہیں ہے انہوں نے صاف صاف لکھا ہے -

"The most distressing fact is that some of the properties are under the occupation of Government and local bodies."

[شری اشفاق حسین]

بعد میں پھر انہوں نے اسی خط میں کہا -

"I would request the Chief Ministers to bestow their attention to this point and see that these properties are given back to the Wakf Board, and the best way to do is to thrash out on what lines the property can be given."

یہ ۱۹۷۴ع کی بات ہے اور ۱۹۷۴ع سے اب تو آٹھ سال کا سمے ہو چکا ہے - ایسا لگتا ہے جیسے کہ کل اس سدن میں کیپیٹیشن فیس کے بارے میں بحث ہو رہی تھی - کیپیٹیشن فیس کے معاملے میں پردھان منتری کی مرضی ہے کیندریہ سرکار کی مرضی ہے اور یہاں تک کہ بہار سرکار کی بھی مرضی ہے - کہ کیپیٹیشن فیس نہ لی جائے لیکن کیپیٹیشن فیس لی جا رہی ہے - وہاں تو مان لیا جائے کہ پردھان منتری کی رٹ نہیں چل رہی لیکن اس معاملے میں تو دلی میں جہاں سیدھی حکومت کیندریہ سرکار کی ہے افسوس کی بات کہ وہاں بھی پردھان منتری کی رٹ نہیں چل رہی ہے -

تو معاملہ اتنا اہم ہے کہ اس کے لئے ضروری ہے کہ کارگر قدم فوری قدم اٹھائے جائیں - جو سروے اس وقت ہو رہا ہے اور جو ایکتعلشن کی بات کہیں کہی گئی ہے اس بل کے ذریعہ میری جانکاری میں ۳۱ دسمبر ۱۹۸۲ع تک ۲۴۴۷ وقف کی جائدادیں دلی کے اندر سروے ہوئیں اور ان میں سے ۱۸۱۱ کا گزٹ بھی ہو گیا لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا کہ گزٹ ہونے کے بعد قبضہ کتنی جائدادوں پر وقف بورڈ کو دیا گیا - اور اگر نہیں دیا گیا ہے تو پوزیشن کیا ہے اور کیا اس میں زیادہ تر ڈی - ڈی - اے - اور سرکاری محکمے شامل نہیں ہیں -

دوسرا سوال لینڈ ایکویزیشن کے بارے میں ہے - ہمارے ساتھی شری زین البشر جی نے اس کا حوالہ دیا اور ایک خطرناک پہلو کی طرف دھیان دلایا کہ الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے سے مسجد کو بھی ایکوائر کر لیا گیا - تو اگر سرکار کی واقعی نیت ہے کہ مسلمانوں کے پرسنل لا میں کوئی دخل اندازی نہ کی جائے تو لینڈ ایکویزیشن کے ذریعہ مسجد قبرستان عید گاہ اور عبادت گاہوں یا اس طرح کی اور جگہوں کو لینڈ ایکویزیشن ایکٹ سے مستثنیٰ کیوں نہیں کیا جاتا - میں مانگ کروں گا کہ ان کو لینڈ ایکویزیشن ایکٹ سے مستثنیٰ کیا جائے لیکن سب سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ وزیر اعظم اس کے بارے میں خط لکھتی ہیں لیکن دوسری طرف ابھی پچھلے مہینے راجیہ سبھا میں ایک سوال پیش ہوا تھا جس میں پوچھا گیا تھا کہ برنی کمیٹی کی رپورٹ کے اوپر سرکار کیا کرنے جا رہی ہے جس کے جواب میں یہ بتایا گیا تھا -

"The Government proposes to consider implementation of the recommendations of the Burney Committee Report with respect to the properties claimed by Delhi Wakf Board in phases."

آپ امنڈز میں کریں کے یا ایک ساتھ کریں کے اس پر بنیادی اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے - لیکن سب سے زیادہ خطرناک پہلو جو ہے اس کی طرف میں آپ کا دھیان دلانا چاہتا ہوں - وہ خطرناک بات یہ ہے کہ آپ کی زبان سے نکل گیا جان بوجھ کر یا بلا جانے بوجھے -

"But which are not required for the planned development of Delhi."

اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی جائدادیں حوالے کی جائیں کی برنی رپورٹ کے مطابق جن کی دلی کے پلانڈ ڈیولپمنٹ کے لئے ضرورت نہیں ہو گی - آپ سمجھ لیں کہ دلی کا پلانڈ ڈیولپمنٹ ایسا ہائی ہے ایسا پودا ہے جس کے پیچھے ساری وقف کی جائدادیں ہڑپ کی جا سکتی ہیں اور ان کو ہڑپ کرنے کی سازشیں بھی کی جا رہی ہیں - اس سے آپ ہوشیار رہیں - گورنمنٹ کا ایک قانون ہے :

Public premises Eviction of Illegal Occupation Act.

وقف کسی ایک آدمی کی جائداد نہیں ہوتی ہے - اگر واقعی میں آپ وقف کی جائدادوں کا کچھ تصفیہ چاہتے ہیں تو وقف کی جائدادوں کا تصفیہ لا کورٹ میر سوڑ کورٹس میں نہیں ہو پائے گا - آج تک کا تجربہ یہ ہے کہ بیس بیس سال تک پچیس پچیس سال تک مقدمے چلتے رہے ہیں اور چلنے کے بعد بھی وقف بورڈ یا دوسرے ادارے ان کا تصفیہ نہیں کرا سکے ہیں - میری مانگ ہے کہ وقف کی جائدادوں کو یہ جو ایکٹ ہے اس کے تحت لیا جائے اور خالی کرایا جائے کیونکہ یہ بھی پبلک پریمیزز ہوتے ہیں -

کچھ لوگوں میں خوش فہمی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وقف کی جائدادیں اتنی ہیں کہ ان سے مسلم قوم کی تعلیم کا سماجی بہبود کا سارا انتظام ہو سکتا ہے اور ان میں شاید مدد کی ضرورت نہ پڑے - لیکن ایسی بات نہیں ہے - کچھ دن پہلے اخباروں میں آیا تھا کہ ۷۵ لاکھ کی وقف کی آمدنی میں سے دلی میں ایک ووکیشنل ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ کھولا جائے گا - سرخی یہ تھی -

Rs. 75 lakh Wakf Covational Training Institute will be set up in Delhi soon.

اس کا کیا ہوا - کیوں یہ اسکیم عمل میں نہیں آئی - دلی وقف بورڈ کی طرف سے شاید یہ شائع ہوا تھا - یا دلی وقف بورڈ کی طرف سے اس کو کسی نے شائع کرایا تھا - تو کیا روپیہ نہیں تھا - اگر روپیہ نہیں تھا تو اس طرح کی خبر عوام میں غلط فہمی پیدا کرنے کے لئے نہیں دینی چاہئے -

[شری اشفاق حسین]

میں ایک اور بات آپ سے کہنا چاہوں گا اور منتری جی سے چاہوں گا کہ اس پر غور کریں کہ وقف کا ایک کمپریہینسو قانون وہ لائیں کے اس میں جو ممبروں نے ان کو صلاح دی ہے اور سدن کے لوگوں نے جو اپنی بات کہی ہے اس پر وہ دھیان رکھیں گے لیکن ایک بات اور وہ دھیان میں رکھیں اس پر غور کریں کہ کیا اس وقف کے قانون کو ساری پابندیوں سے بچانے کے لئے کانسٹی ٹیوشن کے نائنتھ شیڈول کے اندر لایا جا سکتا ہے - اس پاسیبلیٹی پر بھی وہ غور کریں - جب کہ لینڈ سیلنگ ایکٹ اور تمام طرح کے قانونوں کو تحفظ دینے کے لئے کانسٹی ٹیوشن کے نائنتھ شیڈول کا استعمال کیا جاتا ہے تو مسلمانوں کے اس وقف کے قانون کو بھی وہ نائنتھ شیڈول کے تحت لائیں -

ان شبدوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں -

SHRI A. A. RAHIM: Sir, The hon. Members who spoke, had the full realization of the importance of the Bill, and have given me full support in respect of this Bill. I take this opportunity to thank the Members at the outset.

Many of the learned Members expressed their feelings about the present state of affairs; and they have got an opportunity to ventilate the position regarding Wakf properties and certain Wakf Boards. They sopke at length about alienation, encroachment and mismanagement of properties. There was a long discussion about Wakf Board properties as such; but those discussions are not really directly related to this Bill. The Government will take due note of the suggestions, and will definitely try to improve the administration.

The amendment of the Wakf Act is already on the anvil, and will be presented to Parliament this year itself. At that time, these points can be discussed in detail. By amending the Act, the present state of affairs can be improved.

There was criticism about the neglect by the authorities, in restoring Wakf properties. I am not having the details of other States; but I am having certain statistics regarding the Delhi Wakf Board's working in this regard. The Delhi Wakf Board filed 577 cases during the five years from January 1976 to December 1980, with the following break-up:

1976	..	16
1977	..	3
1978	..	40
1979	..	34
1980	..	484

Altogether 577. Out of the above cases, 157 cases have been decided, of which 108 have been decreed in favour of the Delhi Wakf Board; and 49 cases have been dismissed. The Delhi Wakf Board has gone in appeal in 49 cases which have been dismissed. And when the Public Wakfs (Extension of Limitation) (Delhi Amendment) Bill, 1982 is passed, the Delhi Wakf Board proposes to file about 300 more cases for recovery of the possession. As the survey of the Wakf properties is continuing, the number of such cases may again increase.

I take this opportunity to assure the Members that the survey will be expedited, and will be completed soon.

Regarding Burney Committee Report, the Committee submitted its Report in 1976 and in all considered 209 properties. The Government is considering the implementation of the Report in phases. You

will appreciate that there are legal complexities involved. These have to be resolved in the first instance. I can say that something tangible, something positive will be done in this regard. I am expecting cooperation from the members. This Bill is only a step to restore the properties and to protect them and to restore them to the rightful owners.

With these words, I move that the Bill be taken into consideration.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill further to amend the Public Wakfs (Extension of Limitation) Act, 1959, as in force in the Union territory of Delhi, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY SPEAKER: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

MR. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That Clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI A. A. RAHIM: I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY SPEAKER: The House stands adjourned to meet at 11 A.M. on Monday, the 9th August, 1982.

19.57 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, August 9, 1982/ Sravana 18, 1904 (Saka).